

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर- चौड़ी- रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे० सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हे० कुल भूमि 1.180 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप वन संरक्षक, .....

संख्या-

/

दिनांक: / / 2015

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर-वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22/1/2015 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलिय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के 04 वृक्ष प्रभावित हो रहे।

| क्र० सं० | भूमि की श्रेणी | वन ब्लॉक / कम्पार्टमेंट खसरा संख्या | प्रजाति | वैज्ञानिक नाम                                                    | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |       |       |            | योग |
|----------|----------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
|          |                |                                     |         |                                                                  | 0-10       | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 से अधिक |     |
| 1        | सिविल वन भूमि  |                                     | बांज    | Quercus leucotrichophora Camus ex Bahadur (Syn. Q. incana Roxb.) | 03         | 01    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 04  |
|          |                | योग                                 |         |                                                                  | 03         | 01    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 04  |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

  
वन क्षेत्राधिकारी  
नामनाथ वन क्षेत्र

  
उप वन संरक्षक  
ह०/  
के प्रशासकीय वन अधिकारी  
गोपेश्वर